International Journal of Applied Research 2019; 5(4): 541-543

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(4): 541-543
www.allresearchjournal.com
Received: 11-02-2019
Accepted: 15-03-2019

सुनील कुमार निम
एम0ए0 इतिहास, शिक्षाशास्त्र, बी0एड0, बी0टी0सी0 सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ततारपुर वि0क्षे0– अगौता, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence
सुनील कुमार निम
एम0ए0 इतिहास, शिक्षाशास्त्र, बी0एड0, बी0टी0सी0 सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ततारपुर वि0क्षे0– अगौता, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश, भारत

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की अनिवार्यता

सुनील कुमार निम

प्रस्तावनाः
शिक्षा का वास्तिक अर्थ मानव के सर्वांगीण विकास में निहित है अर्थात जिससे मानव का शारीरिक मानसिक भौतिक एवं नैतिक शक्तियों का विकास होता है, उसे शिक्षा कहा जाता है। यह वास्तविकता है कि महिला या स्त्री शिक्षा मानव कल्याण तथा मानव उत्थान हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। शिक्षा मानव जीवन का प्रमुख अंग है। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है। उसकी व्यक्तिकता का पूर्ण विकास करती है उसे अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सक्रिय सहयोग देती है। शिक्षा के संदर्भ में एड्मस ने लिखा है '' शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है, जिससे एक व्यक्ति का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन वाणी, कार्य के द्वारा प्रभाव पड़ता है। व्यापक अर्थो में शिक्षा की बात करें तो यह एक ऐसी विशाल प्रक्रिया है। जिसका प्रभाव जीवन पर्यन्त चलता है। इसक द्वारा मानव स्वंय को प्राकृतिक, सामाजिक एवं अध्यात्मिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। शिक्षा मानव का साध्य नहीं, अपितु साधन है। शिक्षा के द्वारा मानव निरंतर उत्कृष्ठता के सोपानों पर चढ़ता जाता है।
भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति में अपनी आख्या (रिपोर्ट) में लिखा है कि '' किसी भी मानव समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है और कोई भी इसे नजरअन्दाज नहीं कर सकता है। स्त्रिया राष्ट्रय के विकास के लिए उतना ही महत्व रखती है। जितना उस देश के खनिज पदार्थो, वहाँ की नदियों एवं खेतीवाड़ी का है। स्त्रियों की शक्तियों का समुच्चित उपयोग करने और उनका सही नियन्त्रण करने पर, लेकिन उनके साथ आदर का व्यवहार करने पर वे ऐसी महान एवं प्रवल शक्ति का रूप लेती है। जिसका राष्ट्र के लाभ और उसके विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है''
महिला शिक्षा के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के ये ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य है कि '' शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरूष नहीं हो सकता। यदि पुरूषों एवं स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना है तो वह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि तब तक वह शिक्षा स्वयं में अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।''

महिला सशक्तिकरणः– स्वाधीनता के पश्चात् सरकारों, महिला संगठनों और महिला आयोग आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वारा खुले। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ जिसके कारण उनकें आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इसी के फलस्वरूप आज भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल आदि के साथ–साथ राजनीति, सामाजिक सेवा, शिक्षा पत्रकारिता, साहित्य उद्योग, विज्ञान तकनीकी, आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भारत के प्रथम नागरिक (राष्ट्रपति) के रूप में भी महिला चुनी गई है। एक ओंर यह परिदृश्य अत्यंत सुखद एवं उत्साहजनक लगता है तो दूसरी ओर इसका दुखद एवं घातक पहलू यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसा एव ंक्रूरता, गरीबी, शोषण, अन्याय तथा उत्पीड़न का शिकार है। स्त्री का अस्तित्व न केवल परिवार में बल्कि परिवार के बाहर कमजोर हुआ है। महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में एमनेस्टी इण्टरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार '' भारत में लगभग 40ः विवाहित महिलाओं को महज इस कारण प्रताड़ित किया जाता है कि उनका बनाया भोजन व साफ –सफाई का काम पसन्द नहीं आता। इन यातनाओं का प्रभाव उनके मानशिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। सरकार ने महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न एवं हिंसा का रोकने हेतु अनेक कानून बनाने के अलावा महिला सशक्तिकरण आन्दोलन आरम्भ करके संवैधानिक सुरक्षा के साथ–साथ एवं महत्वपूर्ण संस्थागत ढाँचा भी खड़ा किया है। इसके अंतर्गत 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला बाल विकास का गठन किया गया है। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई जिसने महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को एक नई गति व दिशा प्रदान की। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का भी गठन किया गया।

महिला विकास कार्यक्रमः महिला के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनके योजनाओं की शुरूआत की गई।

स्टैप (1) :– महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम स्टैप वर्ष 1986–87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परपंरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है।

स्वावलंबनः–स्वावलंबन कार्यक्रम जिस पहले महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1982–83 में सम्पूर्ण देश में आरंभ किया गया। इसका उददेश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करता है।

स्वयं सिद्धः– यह महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। यह महिलाओं को स्व–साधन समूहों में संगठित करने पर आधारित और इसमें सेवाओं के समन्वय तथा अल्प ऋण उपलब्ध कराने और बहुत छोटे उपक्रमों को बझ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है।

स्व–शक्तिः–ग्रामीण महिलाओं के विकास को स्व–शक्ति नाम केन्द्र प्रायोजित करता है यह परियोजना विश्व बैक व अन्तर राष्ट्रीय कृषि विकास के सहायोग से सचालित की जाती है।

स्त्री शक्ति पुरस्कारः– वर्ष 1999 में आरम्भ किए गए ये पुरस्कार भारत की पाँच महा–यशस्वी नारियों के नाम पद प्रदान किये जात ळें किन्तु माता जीजाबाई देवी, अहिल्या बाई होल्कर, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई और रानी गॉडिनल्यू में पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 मार्च अन्तर राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते है।

आम जीवन में महिला सशक्तिकरण कानूनः–

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की कोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है।
- एक महिला को जीने का अधिकार देने के लिए लिंग की जांच और उसकी हत्या के खिलाफ कानून निर्मित है।
- यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है।
- भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी सम्पत्ति में पूरा अधिकार है।

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षणः– केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने महिला सशक्तिकरण को यथा रूप देने के लिए पंचायतों में महिलओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव महिलाओं का अधिकार स्वतन्त्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पंचायत में महिलाओं की संख्या बढ़ने से आश्वस्त हुआ जा सकता हैं कि समसय के साथ सर्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक महिलाएं प्रवेश पाने के समय प्रभावी भूमिका भी निभा सकेंगी।
(1) सभी स्तरों पर पंचायतों में नई आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है।
(2) एस0सी0/एस0टी0 आरक्षित चेयर पर्सन की सीटे भी मान्य होगीं।

महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एव अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पहला कदम है। इसके अभाव में समस्त प्रयास अच्छे लक्ष्य के निर्धारण में सफल नहीं हो सकेंगे। शिक्षा सही अर्थो में समाज की प्रगति एवं विकास की नीव का आधार हे। नारी की शिक्षा की आवश्यकता की सत्यता को हम कदापि ठुकरा नहीं सकते हैं।

आज की जागृति में महिलाओं की भागीदारीः हमारे समाज में महिला व कमजोर वर्ग के सामने अनेक चुनौतियां भस्मासुर की तरह मुंह खोले खड़ी है। आज की अमीर–गरीब, शहरी–ग्रामीण, अगड़ी व पिछड़ी महिलाओं की सांझी चुनौतियां है। केन्द्र सरकासर शीघ्र ही शादी शुदा महिलाओं को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे दहेज जैसी समस्या से निपटने के साथ महिला का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। कई राजयों में महिलाओं/बालिकाओं के संरक्षक, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार से है। (1) बालिकाओं के संरक्षण एवं घटते लिंग अनुपात में सुधार के लिए राज्य में 'लाडली' जथा 'लाडली सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना' लागू। (2) बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बैंक की ब्याज दर में 05 प्रतिशत सबसीडी सहित आसान ऋण योजना लागू। (3) प्रत्येक गांव में चरणबद्ध तरीके से 'महिला शक्ति सदन' निर्माण करने की योजना। (4) आंगनबाडी कार्यकर्त्ताओं व हैल्परों के कल्याण हेतु सुरक्षित भविष्य योजना का निर्धारण। (5) आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण तथा समुदाय द्वारा संचालन। महिलाओं तथा बच्चों की योजना की देख–रेख के लिए 6150 ग्राम स्तरीय महिला समितियां गठित। (6) आंगनबाडी केन्द्रों में लाभ पात्रों के लिए पोषाहार प्रदान करने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम लागू। जिसे 15000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त। (7) ग्राम पंचायत की सहायता के लिए प्रत्येक गांव में शिक्षित महिलाओं के 'साक्षर महिला समूह' (एस0एम0एस0) का गठन लगभग 6000 साक्षर महिला समूहों का बतौर रजिस्टर्ड समिति गठन। (8) छोटे चरणों को बढ़ावा देने राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा साक्षर महिला समूह को गैर–सरकारी संगठन के रूप में मान्यता। (9) किशोरी शक्ति योजना का 130 परियोजनाओं में विस्तार। (10) 'समेकित बाल विकास सेवाए' योजना का विस्तार।

शिक्षा का योगदान :– निःसंदेह शिक्षा ही वह मूलमंत्र है जिसके बल पर समाज में महिला व कमजोर वर्ग को न केवल अपने अधिकार में समर्थ एवं सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि उसे सशक्त भी बनाया जा सकता हैं यह कारण है कि किसी भी राष्ट्र की प्रोन्नति उस देश के नाकरिकों के शैक्षिक स्तर, शिक्षा के आधार पर सक्षम योग्यता, शिक्षा के प्रति जागररूकता एवं शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन बद्धता का पालन करते हुए सामजिक मूल्यों को बनाये रखने पर निर्भर करती है। शिक्षा व प्रभावशाली एवं साधन सशक्त साधन है जो मानव के सामाजिक विकास में पूर्ण सहायक है। संक्षिप्त में हम शिक्षा के द्वारा समाज के कमजोर बर्ग को शक्ति सम्पन्न बनाने में किस प्रकार योगदान दे सकते है, इस प्रकार है–

(1) व्यक्ति के विकास में सहायक : शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक होती है। व्यक्ति के अंदर निहित गुणों को विकसित कर शिक्षा के द्वारा उन्हे दक्ष व कुशल बनाया जाता है ताकि वे सक्षय व समर्थ बनकर आत्म निर्भरा निर्णय ले सके। इस संदर्भ में जान डी0वी0 का यह कथन उल्लेखनीय है, ''शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है, जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और भावी आशाओं को पूरा कर सके।'' वास्तव में महिला व समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में पहला महत्वपूर्ण कदम शिक्षा ही है।

(2) नेतृत्व क्षमता का विकासः एक सफल नेतृत्व के लिए शिक्षा के द्वारा उत्तम व्यक्तित्व, आत्मविकास, पक्का इरादा, साहसिक दृढ़ता जोश, शक्ति संस्कार, विचार व्यक्त करने की योग्यता एवं प्रसन्नता आदि गुण होने चाहिए जो शिक्षा के द्वारा संभव हो पाते है।

(3) आत्म निर्भरता : शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में ज्ञान कौशल एवं संचार जागृत कर उसे आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। समाज में कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को शिक्षित कर आत्म निर्भरता की अलख जगाकर ही उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।

(4) व्यावसायिक कुशलता : शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की कवियों, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आज

के इस वैश्वीकरण के युग में व्यावसायिक कुशलता के बल पर ही अपना वर्चस्व एवं अस्तित्व बनाये रखा जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा व्यावसायिक निपुणता आती है।

(5) अधिकारों के प्रति जागरूकताः आधुनिक समाज में वही बर्ग अपने को परिस्थितियों के अनुसार तैयार रख पाता है जो शिक्षित एवं दीक्षित है। इसके साथ ही शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर उसे शोषण, अन्याय, अपराध, दबाव एवं दमन से बचाती है।

(6) शोषण एवं अन्याय के प्रति जागरूकता : शिक्षा के द्वारा मानव को शोषित होने के साथ ही अन्याया प्रति सजग किया जाता है। जन्म तथा अन्य अनेक कारणों से उत्पन्न जातिगत एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए शिक्षा मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाकर अपने अधिकार दिलाती है।

(7) दवाब व दमन पर अंकुशः शिक्षा के ,ारा ही निराश, दीन–हीन, दलित, कुंठा ग्रस्त, दबाव व दमन से जूझ रहे लोगों को स्वाभाविक के साथ अपना जीवन यापन के लिए नवीन पथ दिखाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, कौशल व बुद्धि की दर जागृत होती है, जो दबाव व दमन के अंधकार को समाप्त करती है।

(8) निर्देशन व समुपदेशनः शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्देशन एवं समुपदेशन द्वारा सक्रिय सहयोग देती है। महिला सशक्तिकरण एवं समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम के रू‍ में मानी गई है।

(9) सामाजिक आर्थिक व तकनीकी चेतना : शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक, विज्ञान व मकनीकी ज्ञान प्रदान कर उसमें आत्मविश्वास के बीच अंकुरित करती हैं, जिसके द्वारा शक्ति, सम्मान, साहस, समर्थन एवं स्वाभिमान आदि गुण फलित होकर व्यक्ति की दक्षता को बढ़ाते है। आर्थिक एवं कतनीकी दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति समाज के लिए अनुकरणीय हो जाता है।

(10) ज्ञान एवं कौशल विकसित करनाः ज्ञान व कौशल के द्वारा व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कचियों शक्तियों को बढ़ाया जाता है। यह समाज की बदलती दक्षताओं के उसे मार्ग दर्शन भी कराती है। ज्ञान जहां सूचना या जानकारी का प्रतीक होता है, वहां कौशल तयिों को जानने में मदद करता है।

(11) तकनीकी ज्ञानः तकनीकी जानकारी के बिना व्यक्ति समाज में सम्मानित रूप में अपना यापन नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति कतनीकी के विविध आयामों के समझकर अपने को सामाजिक, आर्थिक, मनावैज्ञानिक, राजनीतिक, अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप में वक्ष बना सकता है।

(12) समानता के लिए शिक्षाः शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज में बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन यापन कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान कराकर उसके सामाजिक जीवन को समान रूप से जीने का कह दिलाती है। शिक्षा मानव का प्रेरणा स्त्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा का सूंचक होती है।

(13) आर्थिक विकास के लिए शिक्षाः किसी भी देश की प्रगति वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। आर्थिक सम्पन्नता के लिए दो चीजे जरूरी है– भौतिक संसाधन व मनाव संसधान। शिक्षा के माध्यम से ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आधुनिक, सजग, सचेत, समृद्धशाली, समर्थ, सक्षम व सशक्त बनाना संभव है क्योंकि सजग नागरिक ही सजग राष्ट्र को जन्म देता है। इसी कारण शिक्षा को आर्थिक विकास का एक आधार भी माना जाता है।

(14) आधुनिकीकरण हेतु शिक्षाः शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति, समाज, संस्था, समूह स्वराजय एवं स्वराष्ट्र को आधुनिक बताकर विकसित किया जा सकता है। आर्थिक सम्पन्नता, व्यावहारिक प्रणाली तथा मूल्य परिवर्तन के द्वारा आधुनिकीकरण किया जाता है, जिनके मूल में शिक्षा का सुदृढ़ होना बेहद जरूरी माना गया हे। शिक्षा के द्वारा अंध विश्वास, रूढ़िवादिता और परम्परागत मूल्यों को त्याग कर आधुनिकता की और बढ़ा जा सकता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा न केवल एक राष्ट्र की महिला एवं कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास ही इसके द्वारा संभव है। शिक्षा सभ्य समाज का प्रतीक इसी कारण मानी जातीहै कि उसमें व्यक्ति अपनी जीवन शैली का विकास अन्याय, अपराध, अनाचार दबाव, दमन, उत्पीड़न व भय आदि कुरीतियों से बचकर कर सकने की क्षमता रख पाता है। व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय ले पाने की सक्षमता रखता है, इसी का नाम सशक्तिकरण है। जब महिला एवं कमजोर वर्ग स्वयं अपने बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेगा, तो सशक्तिकरण स्वयं ही आ जाता है। शिक्षा के समक्ष आज अनेक चुनौतियां है किन्तु शिक्षा ही चुनौतियों का समाधान भी है।